

अल्पकालिक निविदा

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर में दिनांक: ११-११-२०१६ को १२ बजे अपरान्ह तक निम्नलिखित २५-लघु निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित निविदा (विशेष परिस्थिति को छोड़कर) अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोला जायेगा :-

कम सं०	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा फार्म का मूल्य	कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि
1	2	3	4	6
1.	म-८६/१५	पुलिस लाइन जनपद संतकबीरनगर के परिसर में आर०टी०सी०बैरक के पास वाटर स्टोरेज टैंक/हौद का निर्माण कार्य।	१००-००	१५ दिवस

- २- नक्शे एवं आगणन आदि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में आकर देखे जा सकते हैं।
- ३- निविदा फार्म पुलिस कार्यालय में किसी कार्य दिवस में समय १० बजे से ११.३० बजे तक रु० १००-०० नकद देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- ४- मोहर बन्द निविदा लिफाफे में रखकर जिस पर दिनांक: ११-११-२०१६ के लिए टेण्डर की तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समय ११ बजे से १२ बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाल दिया जाय।
- ५- निर्धारित समय १२ बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ६- निविदा फार्म में पूरी धनराशि साफ-साफ शब्दों एवं अंकों में लिखा होना चाहिए, जिसके लिए पूरे कार्य का टेण्डर लिखा हो उसके साथ टेण्डर देने वाले फार्म में पब्लिक वर्क्स विभाग की अधिक व कम हो दर भी देनी चाहिए, जिसके हिसाब से वह उस फार्म में जिसके लिए उसने पूरा रकम का टेण्डर दिया हो, कोई बृद्धि अथवा छोड़ दिये जायें, अंश के लिए तैयार इस शर्त को पूरा न करने पर टेण्डर अवैध हो जायेगा। किसी टेण्डर की धनराशि प्रतिशत में नहीं होनी चाहिए, जो भी धनराशि टेण्डर में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। यदि टेण्डर धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है अथवा शर्तों के विपरित प्रतिशत में अंकित की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के उपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- ७- टेण्डर फार्म के साथ निविदा धनराशि के एक प्रतिशत अर्नेस्टमनी संलग्न करना अनिवार्य है। टेण्डर स्वीकृति के एक दिन बाद अर्थात् दूसरे दिन १० प्रतिशत जमानत की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो बिना कारण बताये टेण्डर निरस्त करते हुए अर्नेस्टमनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि नकद या फिक्स डिपोजिट होना चाहिए। फिक्स डिपोजिट पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर के नाम से बन्धक होना चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होगा।
- ८- कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो जमानत की धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। तदोपरान्त मेरे स्तर से समय बृद्धि किये जाने की दशा में प्रथम अवधि नियत की समाप्ति के दूसरे दिन से रु० १००-०० प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
- ९- वाटर चार्ज एवं स्टैम्प ड्यूटी की कटौती उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: ग्यारह-१६२२९-९४, दिनांक २७-५-९५ में निहित निर्देशानुसार की जायेगी।
- १०- निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ११- कार्य प्रारम्भ के पूर्व कार्य स्थल का फोटोग्राफ, कार्य के दौरान कम से कम एक फोटोग्राफ तथा कार्य समाप्ति पर दो फोटोग्राफ अवश्य रखे एवं उसके पीछे फोटोग्राफ की तिथि तथा कार्य का नाम अंकित करें, जो कार्य के पूर्णता को प्रदर्शित करें।
- १२- (क) बिक्री कर छुद्रमूल निर्माण हेतु सामग्री के मूल पर ५ प्रतिशत छुद्रमूल निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का मूल्य निविदा की राशि का ७० प्रतिशत होगा।

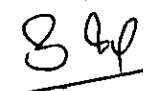
13-

(ख) बिकी कर विशेष मरम्मत हेतु सामग्री के मूल्य पर 5 प्रतिशत विशेष मरम्मत कार्य में निर्माण सामग्री का मूल्य निविदा की राशि का 60 प्रतिशत होगा।
टेण्डर श्री ~~उमेश~~ ~~कुमार~~ ~~जयपुर~~ ~~310~~ द्वारा खोला जायेगा।

पत्र संख्या: म-86/16

दिनांक: नवम्बर 10, 2016


पुलिस अधीक्षक, 10.11.16.
संतकबीरनगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-पुलिस उपमहानिरीक्षक-बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, पुलिस अधीक्षक-बस्ती सिद्धार्थनगर।
- 2-अपर पुलिस अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर टेण्डर की कार्यवाही नियत तिथि को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 3-क्षेत्राधिकारी भवन/महंदावल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आंकिक को सूचनार्थ।
- 5-ठेकेदार श्री रामनारायन दुबे ग्राम-तुलसीरतन थाना-हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।
- 6-ठेकेदार श्री सरवर अली पुत्र हाजी अनवर अली, निवासी-धनेवा-धनेई, गबडुआं पो0महराजगंज थाना-कोतवाली जनपद महाराजगंज।
- 7-ठेकेदार श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव ग्राम मुड़सरा पोस्ट कुरदा थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती
- 8-श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एस0के0इण्टर प्राइजेज निकट करुआ बाबा चौक पुरानी बस्ती
- 9-श्री विजय शेषर चक्रवर्ती ग्राम तुर्कवलिया उर्फ करमहिया थाना सोनहा जनपद बस्ती
- 10-श्री सुरेन्द्र चन्द्र श्रीवास्तव मेसर्स श्याम कान्द्रक्शन एण्ड सप्लायर ग्राम जंगल पो0-बधौलीजिला-संतकबीरनगर
- 11-श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री संत शरण सिंह निवासी ग्राम वागापार पो0-बागापार थाना कोतवाली महाराजगंज जनपद महाराजगंज।
- 12-सूचना अधिकारी संतकबीरनगर को इस अनुरोध के साथ इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विल इस कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें।
- 13-प्रधान लिपिक/भवन लिपिक को सूचनार्थ एवं टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु।
- 14-प्रतिसार निरीक्षक /
- 15-सहायक अभियंता, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी।